

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :-2025/40

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

अमराराम पुत्र लाधूराम जाति बिश्नोई निवासी पीलवा तह: फलौदी जिला जोधपुर

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णय:

दिनांक:- 03.02.26

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 19 बीएलडी मु0नं0 35/7 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.3225 कमाण्ड अमराराम पुत्र लाधूराम जाति बिश्नोई निवासी पीलवा तह: फलौदी जिला जोधपुर खातेदार रहन आरएमजीबी दन्तौर दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उक्त रकबे के किला नं0 17, 18 में कुल 0.5058 हैक्टर रकबे पर जिप्सम का अवैध खनन किया जा रहा है। रकबे में अवैध खनन की अनुमति नहीं है। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन चक 19 बीएलडी मु0नं0 35/7 के किला नं0 1 ता 25 सालम में कुल 6.3225 हैक्टर निरस्त योग्य है। आवंटी को भूमि का आवंटन कृषि कार्य के लिए किया गया है। अवैध रूप से जिप्सम का खनन करने के लिए नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी की खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावें।

सर्वप्रथम वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला व रजि0 डाक नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी/राजपैरोकार ने वादपत्र कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज व मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्तें 1955 लागू हैं। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रूप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरूर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकारी कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायतें लगातार आती रही हैं। इस वादपत्र तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार इस भूमि के किला नं0 17,18 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

अतः प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्तें 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 19 बीएलडी मु0नं0 35/7 के किला नं0 17 ,18 रकबा 0.5058 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)